2-5/2024 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उप.।
उभय पक्ष वकील उप.। उभय पक्षगण की
अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT.Act के तथ्यों
दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि
प्रार्थीगण के खातेदारी की आई हुई है तथा उक्त
आराजी के पूर्व दिशा की तरफ अप्रार्थी सं. 1
की भूमि ख.न. 118 आई हुई है। तथा अप्रार्थी का
रकबा कम है। तथा भूमि सड़क की सीमा में चली गई
है इस कारण अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की
भूमि में कब्जा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में
प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण
के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी फरमावे। वकील अप्रार्थीगण
ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए, निवेदन
किया कि अप्रार्थीगण की भूमि का पूर्व में तहा. तहसील
सांचोर के राजस्व वाद सं. 43/93 दि. 6/1/1994 को
बटवारा का निर्णय हुआ तथा राजस्व वाद सं. 125/096
दिनांक 14.5.1998 को स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व
डिक्रि अप्रार्थी ओमाराम के हक में होने से तथा तरमीम
शुदा भूमि खेत ख.नं. 118 रकबा 0.20 हैक्टर पर लगातार
काश्त कब्जा होने से तथा प्रार्थी अप्रार्थी ... के तर्ज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 18:00:12 IST
Reason: SelfAttested

... कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

जली भूमि में प्रार्थी जबरन कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि मौके पर T.S.R. सांचौर की मौका रिपोर्ट अनुसार कब्जा प्रार्थी का न होकर अप्रार्थी का कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। तथा अप्रार्थी का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

इसने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अतः इस न्यायालय के पूर्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दि. 19.6.020 को पुख्ता किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 18:00:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner